प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–10.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **84 वाहनों से मु0–14,800 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 06 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 09.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–02 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 40 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है

थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. गुरूचर न पुत्र गोपी केवट नि0 शिवगढ़ थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–105/19 , धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राम दयाल पुत्र महादेव नि0 विशुनपुरा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–94/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल–18 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

अवैध असलहे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त –

01. ऐनुलहक उर्फ ननकऊ पुत्र नसीर निवासी सुकरौली थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर
02 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–65/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 10.04.2019 को उ0नि0 रविन्द्र कुमार चन्द्रा मय हमराह के साथ थाना खोड़ारे क्षेत्र में लगे अड़वा घाट बैरियर पर चेकिंग के दौरान उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना खोड़ारे में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 रविन्द्र कुमार चन्द्रा।
02. हेड का0 श्रीमत नारायण।
03. हेड का0 मुनीव यादव।
04. का0 धीरेन्द्र कुमार सिंह।
02. का0 भूपेन्द्र राणा।

<u>सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 10.04.2019</u>

<u>वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की 03 अदद बाइकों के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमंचा भी बरामद–</u>

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अरविन्द कुमार वर्मा पुत्र राम कृपाल वर्मा नि0 विसवा गनेश थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. शिवा सिंह पुत्र जगजीवन सिंह नि0 कोचवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–122/19 धारा 379.411.413.420.468 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–123/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 03 अदद मोटर साईकिल।
02. 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 09.04.2019 को आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत शांति व्यवस्था ड्यूटी में चौकी प्रभारी सालपुर मनोज कुमार राव मय हमराह व चौकी प्रभारी खोडहंसा नीरज कुमार सिंह मय हमराह के साथ देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मलारी रोड के पास 02 व्यक्ति एक चोरी की मोटर साईकिल लिये खडे है। मुखबिर की सूचना व निशान देही पर पुलिस बल मौके पर पहुँचकर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद स्पेलेण्डर प्लस बाइक व अभियुक्त अरविन्द वर्मा के पास से 01 अदद अवैध असलहा मय कारतूस बरामद कर लिया गया। अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त अरविन्द वर्मा द्वारा चोरी की 02 अदद बाइक छिपाकर रखने की बात बतायी गयी। पुलिस बल द्वारा अरविन्द वर्मा के बताये हुए स्थान से चोरी की स्पेलेण्डर प्रो व पैसन प्रो बाइक बरामद कर अभियुक्त गणों के विरूद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. चौकी प्रभारी सालपुर मनोज कुमार राव।
02. चौकी प्रभारी खोडहंसा नीरज कुमार सिंह।
03. उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार सिंह।
04. हेड का0 बब्बन यादव।
05. का0 ओम प्रकाश यादव।